

राज्य शासन के आदेश

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2002

आदेश

क्र. एफ-22-39 98 आठ - केन्द्रीय मॉटरवाहन नियम, 1989 के नियम 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राज्य शासन इस विभाग की तत्संबंधी समस्त पूर्व अभिसूचनाओं को अधिकृत करते हुए, एतद्द्वारा, यान पर निम्नलिखित का प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करता है :-

(क) यान के शीर्ष अथ भाग पर, लाल रंगी जल यान प्रदेश में कहीं भी ड्यूटी पर हो :-

1. राज्यपाल
2. मुख्यमंत्री
3. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
4. विधानसभा अध्यक्ष
5. मध्यप्रदेश के मंत्रिमण्डल/राज्य मंत्रिमण्डल
6. विधान सभा के उपाध्यक्ष
7. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
8. लोकायुक्त/उपलोकियुक्त
9. मध्यप्रदेश के उपमंत्रिमण्डल/राज्य मंत्रिमण्डल
10. नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा
11. भूतपूर्व मुख्यमंत्री
12. उपाध्यक्ष, राज्य योजना मण्डल
13. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग
14. राज्य निर्वाचन आयोग
15. महाभारत
16. मुख्य मंत्रि
17. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल
18. प्रमुख मंत्रि, गृह
19. प्रमुख मंत्रि/मंत्रि विधान सभा
20. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश
21. जनरल आफिसर कमांडिंग गेन कमाण्डेंट्स ऑफ ट्रिपोलिटन अथवा उसके उत्तर का पद धारित हो,
22. मुख्य आयकर आयुक्त, भोपाल/इन्दौर एवं महानिदेशक, आयकर (अनुसंधान),
23. प्रधान महालेखकार, मध्यप्रदेश (लोक/लोक परीक्षा)

(ख) यान के शीर्ष अथ भाग पर, पीली रंगी (उनके क्षेत्र में) :-

1. राज्य शासन द्वारा गठित आयोगों के अध्यक्ष एवं
2. राज्य शासन द्वारा गठित विभिन्न निगम, मण्डल प्राधिकरणों के अध्यक्ष,
3. संभागीय आयुक्त
4. सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
5. परिवहन आयुक्त
6. आयकारी आयुक्त
7. क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/महानिरीक्षक अतिरिक्त
8. जिलाध्यक्ष/जिला दण्डाधिकारी
9. जिला एवं मज न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
10. पुलिस अधीक्षक
11. महाधीर, नगरपालिक निगम
12. अध्यक्ष, नगरपालिक निगम
13. जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
14. राज्य शिष्टाचार अधिकारी
15. उप परिवहन आयुक्त
16. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी,
17. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक,
18. क्षेत्रीय/अतिरिक्त/जिला परिवहन अधिकारी/अधीक्षक एवं विभाग के उच्चदरतों के प्रभारी अधिकारी
19. जिला रोनानी होमगार्ड
20. नगर निरीक्षक, पुलिस/कार, आफिसर

(ग) रंगियों को हो जाने के लिए प्रयुक्त एंजलिन के रूप में परफेक्ट ग्लाम वाली स्टिकर किंगम को स्थापित

(घ) टॉपलाइंड के रूप में फ्लेशर सहित या फ्लैशर सहित का उपयोग उन अति गणमात्र्य व्यक्तियों को करने वाले यानों तक सीमित होगा जो स्थल उपयोग करने के हकदार हैं;

(ङ) इस दशा में जल यान गणमात्र्य व्यक्तियों को रखा हो, यथास्थिति, लाल, पीली या पीले का उपयोग नहीं किया जाएगा और उसे काले रंग में डुबा जाएगा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
जे. एन. मालपानी,